रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 1985/फाल्गुन 17, 1906
No. 102] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 1985/PHALGUNA 17, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1985

सा. का. नि. 144(अ) :—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 26 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 16015/2/84-अ. भा. से. (4) में जो सा. का. नि. संख्या 102 (अ) के रूप में दिनांक 26 फरवरी, 1985 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में प्रकाशित हुई है, में "भारतीय वन सेवा (संवर्ग)" शब्दों के बाद तथा "संशोधन

नियमावली, 1985" शब्दों से पहले, नियम 1 के उप-नियम (1) में उल्लिखित "द्वितीय" शब्द विलोपित कर दिया जाए ।

[संख्या 16015/2/84-अ. भा. से. (4)]

टी. सी. मनोचा, डेस्क अधिकारी

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th March, 1985

G.S.R. 144(E).—In Government of India, Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. 16015|2|84 AIS(IV) dated the 26th February, 1985 published in the Gazette of India Etraordinary Part II Section 3 sub-section (i) dated the 26th February, 1985 as GSR No. 102(E), the word "Second" appearing in sub-rule (1) of Rule 1 after the words "Indian Forest Service (Cadre)" and before the words "Amendment Rules, 1985" may be deleted.

[No. 16015|2|84-AIS(IV)]

T. C. MINOCHA, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985